हेमंत सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना

- झारखण्ड सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 से आनाच्छादित राज्य के 15 लाख सुपात्र लाभुकों को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS, Jharkhand State Food Security Scheme) के तहत् अनुदानित दर यथा एक रूपये प्रति किलोग्राम प्रति माह की दर से 05 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल) प्रति लाभुक उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
- यह योजना राज्य में 15 नवम्बर, 2020 से लागू की जानी है।
- संबंधित योजनान्तर्गत लाभुकों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र ERCMS के माध्यम से ऑन लाईन प्राप्त किए जाएंगे।
- ऑन लाईन आवेदन समर्पित किये जाने में समस्या होने की स्थिति में ऑफ लाईन आवेदन पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे। यह आवेदन पत्र संबंधित जिला आपूर्ति कार्यालय/अनुमंडल कार्यालय/प्रखंड आपूर्ति कार्यालय अथवा विभागीय पोर्टल www.aahar.jharkhand.gov.in एवं www.jharkhand.gov.in ➡ Department ➡Department of Food, Public Distribution and Consumer Affairs Advertisement से भी प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र संबंधित कार्यालयों के अतिरिक्त पंचायत स्तर पर भी जमा किया जा सकता है।
- आवेदन पत्र **जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 30.09.2020 तक निर्धारित है।**
- **वैसे लाभुक, जिन्होंने पूर्व में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत आच्छादित होने हेतु आवेदन समर्पित किया है तथा जिनका आवेदन लंबित है, उन्हें अलग से आवेदन समर्पित करने की आवश्यकता नहीं है।**
- इस योजना के अन्तर्गत लाभुकों के चयन हेतु निर्धारित मानक इस प्रकार है –

समावेशन मानक (Inclusion Criteria)

(a) सभी व्यक्ति, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत न हों।

(b) सभी विधवा, परित्यक्ता एवं Transgender, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/ केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/ न्यास, इत्यादि में नियोजित/ सेवानिवृत न हों।

© 40 प्रतिशत या इससे अधिक की विकलांगता वाले वैसे सभी निःशक्त, जो भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत न हों।

(d) सभी आदिम जनजाति (PVTG- Particularly Vulnerable Tribal Group) के सदस्य जो भारत सरकार/ राज्य सरकार/ केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/ उद्यम/ प्रक्रम/ उपक्रम/ अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/ नगरपालिका/ न्यास, इत्यादि में नियोजित न हों।

(e) सिविल सर्जन से अन्यून पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र के अनुसार कैंसर/ एड्स/ कुष्ठ/ अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति, जो भारत सरकार/ राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/ उद्यम/प्रक्रम/ उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/ नगर निगम/ नगर पर्षद/ नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित/सेवानिवृत न हों।

(f) अकेले रहने वाले वृद्ध/ बुजुर्ग व्यक्ति/एकल परिवार, जो भारत सरकार/ राज्य सरकार/ केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/ नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित न हों।

(g) सभी भिखारी एवं गृहविहीन व्यक्ति।

(h) कूड़ा चुनने वाला (Rag Picker)/झाड़ूकश (Sweeper)।

(i) निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक (Construction Worker)/ राजमिस्त्री (Mason)/अकुशल श्रमिक (Unskilled Labour)/घरेलू श्रमिक (Domestic Worker)/कुली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अन्य श्रमिक (Coolie and other head load worker)/रिक्शाचालक (Rickshaw Puller)/ठेला चालक (Thela/ Hand Cart Puller)।

(j) फुटपाथी दुकानदार (Street Vendor)/फेरीवाला (Hawker)/छोटे स्थापना के अनुसेवक (Peon in Small Establishment)/सुरक्षा प्रहरी (Security Guard)/पेन्टर (Painter)/वेल्डर (Welder)/बिजली मिस्त्री (Electrician)/ मैकेनिक (Mechanic)/दर्जी (Tailor)/ नलसाज (Plumber) /माली (Mali)/धोबी (Washerman)/मोची (Cobbler)।

नोटः समावेशन मानक के तहत आवेदन करने वाले आवेदक को प्रपत्र–***A (Form A)*** में आवेदन देना होगा।

अपवर्जन मानक (Exclusion Criteria)

(a) वैसे परिवार, जिनका कोई भी सदस्य, भारत सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद्/उद्यम/प्रक्रम/उपक्रम/अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास, इत्यादि में नियोजित हो, अथवा;

(b) वैसे परिवार, जिनका कोई भी सदस्य आयकर/सेवा कर/व्यवसायिक कर/GST देता हो, अथवा;

(c) वैसे परिवार, जिनके पास पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक असिंचित भूमि हो, अथवा;

(d) वैसे परिवार, जिनके पास चार पहिया मोटर वाहन (Four Wheeler Vehicle) अथवा इससे अधिक पहिया के वाहन हों, अथवा;

(e) वैसे परिवार, जिनका कोई भी सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक हो, अथवा;

(f) प्रधानमंत्री आवास योजना से अनाच्छादित वैसे परिवार, जिनके पास कमरों में पक्की दीवारों तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का पक्का मकान हो, अथवा;

(g) वैसे परिवार, जिनके पास 5 लाख या इससे अधिक लागत का मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर, थ्रेसर इत्यादि) हो।

नोट : अपवर्जन मानक के तहत आवेदन करने वाले आवेदक को प्रपत्र ***B (Form B)*** में आवेदन देना होगा।

- इस योजनान्तर्गत **18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की विवाहित/ विधवा/ परित्यक्ता महिला सदस्य परिवार की मुखिया मानी जाऐंगी** तथा इसी के अनुरूप आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे। परिवार में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की विवाहित/ विधवा/ परित्यक्ता महिला सदस्य न होने की स्थिति में सबसे अधिक आयु के पुरूष सदस्य संबंधित परिवार के मुखिया होंगे, किन्तु परिवार में 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र की विवाहित/विधवा/परित्यक्ता महिला आ जाने की स्थिति में महिला सदस्य ही संबंधित परिवार की मुखिया होंगी।
- संबंधित योजनान्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में **आवेदन के साथ–साथ आधार संख्या, मोबाईल नम्बर, बैंक खाता संख्या, इत्यादि सूचनाएँ अंकित करना अनिवार्य है।**
- प्राप्त आवेदनों की जांचोपरान्त प्रत्येक पंचायत हेतु निर्धारित लक्ष्य के दोगुनी संख्या में आवेदकों की प्रारूप प्राथमिकता सूची (Draft Priority List) तैयार करते हुए इसका प्रकाशन जिले की वेबसाईट तथा प्रखण्ड/पंचायत/शहरी वार्ड स्तरीय कार्यालय में किया जायेगा।
- प्रकाशित की गयी प्रारूप प्राथमिक सूची पर आपत्तियाँ प्राप्त करते हुए आपत्तियों का निराकरण संबंधित पंचायत के मुखिया/शहरी क्षेत्र के वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में आयोजित पंचायत स्तरीय/शहरी वार्ड स्तरीय सभा के माध्यम से किया जायेगा।
- निर्धारित लक्ष्य के डेढ़ गुणा संख्या में आवेदकों की अंतिम प्राथमिकता सूची (Final Priority list) तैयार करने के क्रम में निम्नवर्णित अधिमानता को दृष्टिगत रखते हुए क्रमानुसार प्राथमिकता दी जायेगी :–

(i) आदिम जनजाति परिवार
(ii) विधवा/परित्यक्ता/Transgender
(iii) 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति
(iv) कैंसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोग से ग्रसित
(v) अकेले रहने वाले वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति/एकल परिवार
(vi) अनुसूचित जनजाति
(vii) अनुसूचित जाति
(viii) अन्यान्य

नोटः–किसी एक श्रेणी के अन्तर्गत सुपात्र आवेदकों को उनकी जन्म तिथि के आधार पर, अधिक उम्र वाले आवेदक को पारस्परिक प्राथमिकता देते हुए तय की जाएगी।

- पंचायत स्तरीय/शहरी वार्ड स्तरीय सभा का यह दायित्व होगा कि अंतिम प्राथमिकता सूची में उक्त पंचायत/वार्ड के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति का नाम किसी भी हालत में छूटने न पाए, जिस क्रम में विशेष परिस्थिति में उपर्युक्त वर्णित अधिमानता सूची को उस हद तक अवक्रमित किया जा सकेगा।
- संबंधित योजनान्तर्गत आवेदन प्राप्त करने से लेकर अंतिम प्राथमिकता सूची के प्रकाशन हेतु कार्य योजना के लिए निर्धारित समयावधि निम्नवत् है –

क्रमांक	कार्य योजना	प्रारम्भ तिथि	समाप्ति तिथि
1	आवेदन आमंत्रण सूचना का प्रकाशन	17.09.2020	–
2	आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि	17.09.2020	30.09.2020
3	प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता की जाँच अवधि	01.10.2020	10.10.2020
4	प्राथमिकता सूची का प्रारूप प्रकाशन अवधि	11.10.2020	15.10.2020
5	आपत्ति आमंत्रण की अवधि	15.10.2020	21.10.2020
6	आपत्ति निष्पादन अवधि	21.10.2020	31.10.2020
7	प्राथमिकता सूची अंतिम प्रकाशन अवधि	01.11.2020	10.11.2020

- संबंधित योजनान्तर्गत लाभुकों को **हरा रंग का पृथक राशनकार्ड** निर्गत किया जायेगा।

PR 232948 (Food Public Distribution and Consumer Affairs) 20-21